

कार्यालय ग्राम सभा दीहवा जनपद पंचायत दीहवा जिला दीहवा मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर और वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम दीहवा के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति ।

दिनांक :

जनपदवाही का छाया प्रति ।

जनपदवाही
सुरपति
प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत
हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं मुद्रा सहित

वि० २००० च० १०१

कार्यालय - ग्राम पंचायत महोली

4

जनपद पंचायत चन्देरी जिला अशोकनगर (मध्य)

क्रमांक 205

सत्यप्रतिमिदि ग्राम सभा की बैठक दि 17/08/2013

दिनांक 17/08/2013

के प्रस्ताव 36 की प्रतिक्रिया

-प्रस्ताव 36
17/8/2013

हस्ताव

लोहार और वृद्ध
जमाशाय परिशोधन
वर्ग (आदिवासी आदिमिषय
2006 के अनुशासक अधिनियम
आदि गृहण हेतु सहायता
प्रदाय करने वास्त

उत्तम पिनेलु 17/8/2013 को ग्राम वीणा में ग्राम की वीथ
चौपाल पर ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन किया
गया बैठक की अध्यक्षता श्री जयपाल सिंह सरपंच द्वारा
की गई बैठक में श्री जयपाल सिंह सरपंच द्वारा प्रस्ताव
21वां गया कि लोहार और वृद्ध परिशोधन मिश्रित
है जिसमें वन भूमि का आधिकारिक किया जाना
है। वन आधिकारिक आदिमिषय 2006 के अंतर्गत
वन भूमि के आधिकारिक में ग्राम सभा को कोई
आपत्ति नहीं है। अतः समझौता पत्र जारी किया
जाता है प्रस्ताव का समर्थन उपस्थित सभी
सदस्य सहमत किया गया। पाश्चि उपरोक्त प्रस्ताव
पर विचार विमर्श के पश्चात उपस्थित सदस्य
सहमत से पाश्चि किया जाता है।

साधव
ग्राम पंचायत महोली
जिला चन्देरी (अशोकनगर)

जयपाल सिंह
सरपंच

ग्राम पंचायत महोली
जिला चन्देरी (अशोकनगर)

बीठला

(6)

उपविहारी गांव बीठला के 24 वीं वेंचुल दि 17/08/2019 को आयोजित

क्र.	नाम	पिता का नाम	जाति	निवासी	हस्ताक्षर
1	बाबू सिंह	रघुनाथ सिंह	डाकु	बीठला	बाबू सिंह
2	मौन	खीताराम	"	"	मौन
3	चन्द्रपाल सिंह	जगदीश सिंह	"	"	मौन
4	ओमपाल सिंह	कमल सिंह	"	"	ओमपाल सिंह
5	मुकेश सिंह	बाबू सिंह	"	"	मुकेश सिंह
6	जितेन्द्र सिंह	बाबू सिंह	"	"	जितेन्द्र सिंह
7	नेसरिया	निहुका	आदि	"	नेसरिया
8	नीरज	निहुका	"	"	नीरज
9	जयदेव	बाबू सिंह	"	"	जयदेव
10	माधो	बाबू	आदि	"	माधो
11	रामेश	परमा	"	"	रामेश
12	जगत नारायण	माधो	"	"	जगत नारायण
13	यशवीर नारायण	रामेश	"	"	यशवीर नारायण
14	जयपाल सिंह	राम सिंह	डाकु	संरपंच	जयपाल सिंह
15	दीप	कौमल	आदि	"	दीप
16	कमल	शुक्ल	"	"	कमल
17	रामलुका	रामलुका	"	"	रामलुका
18	दुर्गा	"	"	"	दुर्गा
19	"	"	"	"	"

सचिव
ग्राम पंचायत महीली
ज० प्र० चन्देरी (अशोक नगर)